

06-08-24

पत्रावली घेरा हुई। कुलाय उपस्थित।  
प्रार्थना पत्र धारा 212 पर उभयपक्ष  
कुलाय की बहस सुनी गयी। पत्रावली व  
उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया।  
पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व  
कुलाय की बहस एवं अस्थाई निर्दिष्टा  
जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित  
तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला  
बनना सुविधा का सम्बन्धन अपूरणीय क्षति  
के बिन्दुओं पर प्रकरष का परीक्षण किये  
जाने पर तीनों बिन्दु प्राथमिक के विरुद्ध  
होने से प्राथमिक द्वारा ग्राम सुभावा, नह  
वाली में स्थित भूमि रकसान 1865, 1868,  
1869, 1870, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,  
1887, 1889, कुल बसरे 11, कुल रकबा 7.03 है  
के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
धारा 212 RTA सपडित आदेश 39 नियम 1 व  
2 एवं 151 CPC स्वारीज किया जाता है।  
पत्रावली फलशुमार होकर नंबर से कम  
हो।

3

सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, वाली

